

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
CO-OPERATIVE DEPARTMENT

No. F. 12(33) Coop/2012/ Part

Dated: 15.10.2013

NOTIFICATION

The state government in exercise of its power conferred by section 4(2) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Rajasthan Act No. 16 of 2002) hereby makes following amendments at S. No. 3 and 8 of schedule of previous notification No. F. 12(33) Coop/2012 dated 30.10.2014 issued by this department and appoints following officers to assist the Registrar and confers on them the powers of the Registrar respectively specified against them:-

S.No.	Officers	Powers
3	Chief Auditor	Deleted (Post Abolished)
8	Joint Chief Auditor (General) at H.Q.	All powers of the Registrar under section 31, 54, 57 & 101 of the Act.

By order of the Governor,

Sd

(Sukhaveer Saini)

Joint Secy to Govt

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: फा. 3(16)(1)सविरा/नियम/शक्तियों प्रत्यायोजन/03 पार्ट-3 दिनांक 24.1.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम/द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, (समस्त)
7. प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष संस्थाएँ.....
8. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियों, (समस्त)
9. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, (समस्त)
10. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, (समस्त)
11. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. गार्ड पत्रावली

24.1.19

संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)